न्यायालय-अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश **(SC/ST(PA)Act),** सिद्धार्थनगर।

UPSD010038692025

Bail Application/1671/2025

1. अयोध्या यादव पुत्र हरीराम

2. प्रमिला पत्नी अयोध्या

3. मीरा पुत्री अयोध्या

साकिनान ग्राम– लमूहीताल, थाना खेसरहा, जिला–सिद्धार्थनगर।

–––––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

सरकार उ०प्र० आदि

––––विपक्षीगण/आपत्तिकर्ता

फौ० परिवाद सं०–01/2024
धारा–323, 504 भा०दं०सं० व
3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना–खेसरहा, जिला सिद्धार्थनगर।

दिनांक–10–03–2026

अभियुक्तगण अयोध्या यादव, प्रमिला व मीरा की ओर से फौ० परिवाद सं०–01/2024 धारा 323, 504 भा०दं०सं० व 3(1)ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना–खेसरहा, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है। अभियुक्तगण उपरोक्त मामले में न्यायिक हिरासत में है। अभियुक्तगण पूर्व से अन्तरिम जमानत पर है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया है कि प्रार्थीगण / अभियुक्तगण बेगुनाह निर्दोष है एवं कोई जुर्म नहीं है। जुर्म दफा उपरोक्त का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वादी को प्रार्थीगण / अभियुक्तगण न तो कभी मारे पीटे है और न ही जाति सूचक शब्दो का प्रयोग किये है न ही किसी प्रकार की कोई धमकी ही दी है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है इसके पूर्व किसी

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.10 16:31:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

न्यायालय में अथवा उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे विचाराधीन नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के बाद जमानत का मिसयूज नहीं करे और हर तारीख पेशी पर बराबर हाजिर आते रहेंगे। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को उचित धनराशि की जमानत मुचलका पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा जमानत आवेदन खारिज किये जाने की याचना की गयी।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट के अलावा अन्य अपराध मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। अभियुक्तगण आज तक अन्तरिम जमानत पर रहा है। दौरान अन्तरिम जमानत अभियुक्तगण द्वारा जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। प्रकरण परिवाद पर संस्थित है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Satender Kumar Antil vs. Central Bureau of Investigation and Another, reproted in (2021) 10 SCC 773** में पारित विधि व्यवस्था के अनुक्रम में अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अभियुक्तगण अयोध्या यादव, प्रमिला व मीरा का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक के द्वारा मु0–25,000/–(पच्चीस हजार रूपये) का निजी बन्धपत्र व इसी धनराशि की एक–एक प्रतिभू दाखिल करने पर, अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनॉकः–10–03–2026

(मनोज कुमार तिवारी–I)
अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736